जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी के मामलों में जयपुर डिस्कॉम का सख्त निर्णय
बिजली चोरी में जुर्माना राशि जमा नही कराने वालों की होगी गिरफ्तारी

जयपुर, 19 दिसम्बर। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं का तुरन्त कनेक्शन काटने के साथ ही जुर्माना राशि जमा नही कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित विजीलेन्स विंग की मासिक समीक्षा बैठक में डिस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे लास रिडक्सन प्रोग्राम के तहत विजीलेन्स विंग द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा में बताया गया कि बिजली चोरी के मामलों में सख्त कार्यवाही करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर माह तक 621 गिरफ्तारियां हुई है, जबकि गत वर्ष में 267 गिरफ्तारियां ही हुई थी। बिजली चोरी के मामलों में की जा रही सख्त कार्यवाही एवं अन्य प्रयासों से छीजत घट रही है और लॉस कम होकर 322 करोड़ रुपए पर आ गया हैं।

बैठक में जुलाई, 2016 से मार्च, 2017 तक की लम्बित वीसीआर के पूर्ण निस्तारण के लिए निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता एवं शहरी गैर–उपभोक्ताओं की वीसीआर का 15 जनवरी, 2018 तक निस्तारण कर दिया जाए तथा ग्रामीण गैर–उपभोक्ताओं की वीसीआर का 15 फरवरी, 2018 तक निस्तारण कर दिया जाए। इसी तरह मार्च, 2017 से अक्टूबर, 2017 तक लम्बित वीसीआर का भी 15 फरवरी, 2018 तक निस्तारण कर दिया जाए। बैठक में एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जून, 2016 तक की लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए वीसीआर राशि की वसूली के लिए फीडर इंचार्ज व सम्बन्धित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने को वसूल की गई राशि पर सत्यापन के बाद 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों के थानाधिकारियों को किया पुरस्कृत

बैठक में प्रबन्ध निदेशक द्वारा विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों के अनुसंधान अधिकारियों द्वारा बिजली चोरी के प्रकरणों में दर्ज मुकदमों में 10 या उससे अधिक गिरफ्तारी करने हेतु 5–5 हजार रुपए की राशि से पुरस्कृत भी किया गया। माह अक्टूबर, 2017 के लिए एपीटीपीएस कोटा शहर के थानाधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह एवं एपीटीपीएस कोटा ग्रामीण श्री मोहन लाल को तथा माह नवम्बर, 2017 के लिए जयपुर ग्रामीण के थानाधिकारी श्री विनोद कुमार, अलवर थानाधिकारी श्रीमती स्नेहलता, बहरोड़ के श्री नवल सिंह, टोंक के श्री ब्रजमोहन कविया, टोंक के हैड कांनि. श्री सुरेश चन्द, कोटा शहर के थानाधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह, सवाईमाधोपुर के थानाधिकारी श्री श्रीकिशन मीणा को पुरस्कृत किया गया।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 682/2017